

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊ: जनवरी 21, 2026

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 45/2026 दिनांक 09-01-2026 के द्वारा माह फरवरी, 2026 में जनपद वाराणसी में युगलपीठ का गठन दिनांक 02-02-2026 से 05-02-2026 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में विभागीय सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5 वाराणसी को नामित किया गया था।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, वाराणसी के पत्र संख्या-37 दिनांक 21-01-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी द्वारा बीमारी के कारण दिनांक 05-01-2026 से दिनांक 05-02-2026 तक उपार्जित अवकाश आवेदित किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 45/2026 दिनांक 09-01-2026 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद-वाराणसी में गठित युगल पीठ दिनांक 02-02-2026 से 05-02-2026 को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/21-01-2026
(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/104 /2026 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2, 3, 4 व 5, वाराणसी।
- 2- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।